

14.10.24

Net pass

रुषा

पदम

शर्मा ने अपने पुत्रवर्ग का प्रार्थना पत्र पेश
 किया जिस पर पत्रावली आका पुत्रवर्ग में ली
 गई। शर्मा ने अपना प्रार्थना पत्र आका
 212 RT. अर्थ का नोट-पेस करने का निवेदन
 किया। सुना गया, पत्रावली में कोई
 कांफ्लिक्ट न-ई लम्बित नहीं है। शर्मा
 का प्रार्थना पत्र आका 212 RT. अर्थ का
 नोट-पेस में खारिज किया जाता है शर्मा
 की प्रवृत्त वकील श्री इन्द्रादीप शर्मा ने
 की। पत्रावली केसल शुभल होकर वारिखल
 पत्रावली व गाबल ले रुक हो।

सहायक कलेक्टर, सांखीर
 (उपखण्ड अधिकारी, सांखीर)

